



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
**National Commission for Scheduled Tribes**  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/DEV-2481/MH/147/2023-RO-BH

दिनांक: 02.07.2024

सेवा में,

श्री जयराम असराजी देवकर,  
खंडाला, तहसील श्रीरामपुर,  
जिला अहमदनगर,  
महाराष्ट्र

विषय: श्री जयराम असराजी देवकर, खंडाला, तहसील श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) - आवेदक के पूर्वजों की भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने के सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य (श्री जाटोतु हुसैन) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 09.07.2024 को अपराह्न 12:40 बजे, आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)